रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 1986/आषाढ़ 4, 1908
No. 318] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 1986/ASADHA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 1986

अधिसूचनाएं

सा.का.नि. 907(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 5 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 20 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309 (अ) के सिलसिले में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कटक, जबलपुर, जोधपुर और पटना को ऐसे स्थानों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जहां 30 जून, 1986 से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठें साधारणतया बैठा करेंगी।

[ए-11019/31(1)/85 ए.टी.]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 25th June, 1986

NOTIFICATIONS

G.S.R. 907 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training) No. GSR 309 (E) dated the 20th February, 1986, the Central Government

hereby specifies Cuttack, Jabalpur, Jodhpur and Patna as the places at which the Benches of the Central Administrative Tribunal shall ordinarily sit with effect from the 30th June, 1986.

[No. A-11019/31(1)/85-AT]

सा. का. नि. 908(अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 26 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610(अ) में एतद्द्वारा दिनांक 30 जून, 1986 से निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में सारणी के लिए निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं	न्यायपीठ	न्यायपीठ का क्षेत्राधिकार
1.	प्रधान न्यायपीठ (नई दिल्ली)	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली
2.	इलाहाबाद न्यायपीठ	उत्तर प्रदेश राज्य
3.	बंगलौर न्यायपीठ	आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य
4.	कलकत्ता न्यायपीठ	सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र।
5.	चण्डीगढ़ न्यायपीठ	जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र
6.	कटक न्यायपीठ	उड़ीसा राज्य
7.	गुवाहाटी न्यायपीठ	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ शासित क्षेत्र
8.	मद्रास न्यायपीठ	केरल तथा तमिल नाडु राज्य तथा लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी के संघ शासित क्षेत्र
9.	जबलपुर न्यायपीठ	मध्य प्रदेश राज्य
10.	जोधपुर न्यायपीठ	राजस्थान राज्य
11.	नई बम्बई न्यायपीठ	गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य और दादरा तथा नागर हवेली तथा गोआ दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र।
12.	पटना न्यायपीठ	बिहार राज्य

[सं. ए-11019/31(2)/85-ए.टी.]

पी. आर. जैन, निदेशक

G.S.R. 908(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes, with effect from the 30th June, 1986, the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) No. GSR No. 610-(E) dated the 26th July, 1985, namely :—

In the said notification, for the Table the following Table shall be substituted, namely :—

TABLE

Sl. No.	Bench	Jurisdiction of the Bench
1	2	3
1.	Principal Bench, (New Delhi)	The Union Territory of Delhi.
2.	Allahabad Bench	State of Uttar Pradesh.
3.	Bangalore Bench	States of Andhra Pradesh and Karnataka.
4.	Calcutta Bench	States of Sikkim and West Bengal and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

1	2	3
5.	Chandigarh Bench	States of Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh and Punjab and the Union territory of Chandigarh.
6.	Cuttack Bench	State of Orissa.
7.	Guwahati Bench	States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.
8.	Madras Bench	States of Kerala and Tamil Nadu and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry.
9.	Jabalpur Bench	State of Madhya Pradesh.
10.	Jodhpur Bench	State of Rajasthan.
11.	New Bombay Bench	States of Gujarat and Maharashtra and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu.
12.	Patna Bench	State of Bihar

[No. A-11019/31 (2)/85-AT]

P. G. LELE, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986